

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून

संख्या: 668 /USDMA/1011 (2022)

देहरादून: दिनांक: 20, जुलाई, 2022

कार्यालय-आदेश

मौसम के साथ-साथ बाढ़ के प्रभावी पूर्वानुमान के लिये क्षेत्र में मौसम व नदियों के जल प्रवाह/जल स्तर से सम्बन्धित आँकड़े एकत्रित करने वाले उपकरणों के सधन तंत्र का होना एक मूलभूत आवश्यकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये आवश्यक है कि विभिन्न संस्थानों व विभागों द्वारा स्थापित किये जाने वाले उपकरण एक दूसरे के पूरक बने व उपलब्ध संसाधनों के ईष्टतय उपयोग के दृष्टिगत जहाँ एक विभाग/संस्थान द्वारा उपकरण लगाया गया हो वहाँ पर पुनः उसी प्रकार के उपकरण की स्थापना न की जाये।

उक्त के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के स्तर पर राज्य में स्थापित मौसम व नदियों के जल प्रवाह/जल स्तर के आँकड़े एकत्रित करने वाले सभी स्वचलित उपकरणों से प्राप्त आँकड़ों का एकीकृत व वृहद डाटाबेस विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

इस हेतु निम्नवत् व्यवस्थायें की जाती हैं:-

1. राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के द्वारा अधिकतम 01 माह की समयावधि में मौसम व नदियों के जल प्रवाह/जल स्तर के आँकड़ों को प्राप्त व संग्रहित किये जाने हेतु उपयुक्त व्यवस्थायें की जायेंगी।
2. विभिन्न विभाग/संस्थान उनके द्वारा राज्य में स्थापित व संचालित मौसम व नदियों के जल प्रवाह/जल स्तर के आँकड़े एकत्रित करने वाले समस्त स्वचलित उपकरणों के आँकड़े उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा उक्त हेतु नामित अधिकारी से समन्वय करते हुये real time के आधार पर अधिकतम 03 माह की समयावधि में उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।
3. राज्य में मौसम व नदियों के जल प्रवाह/जल स्तर के आँकड़े एकत्रित करने वाले उपकरणों की स्थापना हेतु राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से अनापत्ति प्राप्त की जानी होगी।
4. इस हेतु सम्बन्धित विभाग/संस्थान को निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तावित स्थान व उपकरण का विवरण अन्य वांछित जानकारियों के साथ उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को online उपलब्ध करवाना होगा।
5. प्रस्तावित क्षेत्र में पहले से इस प्रकार का उपकरण न होने की स्थिति में उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा 30 दिन में अनापत्ति प्रदान की जायेगी। 30 दिन की समयावधि में वांछित कार्यवाही के अभाव को उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की अनापत्ति समझा जायेगा।



6. क्षेत्र में पूर्व से इस प्रकार का उपकरण होने की स्थिति में उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के द्वारा सम्बन्धित विभाग/संस्थान को विषयगत शोध व सम्बन्धित प्रयोजन हेतु उक्त के ऑकड़े उपलब्ध करवाये जायेंगे तथा सम्बन्धित उपकरण की स्थापना हेतु वैकल्पिक स्थान सुझाया जायेगा।
7. उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जाने वाला मौसम व नदियों के जल प्रवाह/जल स्तर के ऑकड़ों का एकीकृत व वृहद डाटाबेस शोध सम्बन्धित कार्यों के लिये उक्त हेतु प्राप्त अनुरोध के क्रम में सम्बन्धित विभागों/संस्थानों को निशुल्क उपलब्ध करवाया जायेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे और उक्त की अवहेलना पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा-51 के अन्तर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(डॉ० रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव

संख्या/दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल।
2. समस्त जिलाधिकारी।
3. केन्द्र सरकार के समस्त विभाग/संस्थान।
4. समस्त शैक्षणिक व शोध संस्थान।


(डॉ० रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव